

1
-
एवं आलीवाली संख्या २ से ५ चतराम,
चमवा काम, अमानी वार्ड, आलीवाली विला
सोपारिया अमेडु को ५/६-५/६ हिस्से
का खालेफा हॉटेकल किया जाता है
एवं शेष ५/६ हिस्सा आलीवाली लेपा
५ सोपारिया विला कोपाई खालेफादी
के लवा जाता है हलानुसार सिडी
पर्व जारी किया जावे। एगावली
मिर्गित होइत संपा से हुन वा।
मिर्गित हुनपा जवा।

Cy,
21/11

डिक्री व मुकदमें इबतदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर

पीटर्सॉन अधिकारी श्री रत्ननारायण आचार्य जी - R.A.S.
 मुकदमा नं. 66 सन 2014 सीगह
 श्री देवीलाल पिता लोगरीया बनाम श्री लोगरीया पिता लाला सुन्दर
मेधवाल निवासी - गोगुन्दा निवासी - गोगुन्दा वगैरह

दावा बाबत 88, 188, 53 R.T.A.

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री रत्ननारायण आचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुआ।
 वादी की ओर से वकील श्री प्रतिवादी की ओर से वकील

की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

पुखार टंका गोगुन्दा की जमाबंदी संवत् 2068 से 2071
के खाता संख्या 1052 में वर्गित आराजिमात किल्लू 02 कुल
रकबा 0.0350 हे० भूमिका वादी देवीलाल पिता लोगरीया
एवं प्रतिवादी लोगरीया पिता लाला, चम्पालाल, स्वामी
बाई, डलीबाई पिता लोगरीया पुत्रक का 1/6 - 1/6 हिस्से
का स्वातंत्र्य काश्तकार घोषित किया जाता है एवं भूमि
का हिस्से अनुसार बूई मिट्टस एंड वाउड्स के अधीन
पर विभाजन किम जाने, देव तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर
निमुक्त किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे रुपये की राशि आज की तारीख
 से वसूली की तारीख तक उस पर प्रतिशत की दर से ब्याज सहित
 द्वारा को दी जाये।

यह आज तारीख 15 मार 07 सन 2015 को
 मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

.....
 लोक अदालत गोगुन्दा

(एस. एन. आचार्य)
 हस्ताक्षर न्यायाधीश
 पद

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		
योग			योग		